न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 27.02.2020

सरकार जरिए तहसीलदार निवाई

--प्रार्थी

बनाम

1– भवंरसिंह पुत्र श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
2–रामसिह पुत्र श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
3–पृथ्वीसिंह पुत्र श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
4–देवराजसिंह पुत्र श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
5–मंजू कंवर पुत्री श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक
6–गोपाल कंवर पत्नि श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– (1) रामप्रसाद कुमावत,नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

अभिशंषा दिनांक 06.02.2023

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार निवाई द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1155 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम नोहटा तहसील निवाई मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 मे गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 14.11.1975 को रकबा 19 बिस्वा श्योदानसिंह के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 03.03.1987 को जरिए नामान्तरकरण नामान्तरकरण सं0 510 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज की गई तथा दिनांक 28.06.1989 को जरिए नामान्तरकरण नामान्तरकरण सं0 552 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। खातेदार फोत होने से दिनांक 06.12.2017 को जरिए नामान्तरकरण नामान्तरकरण सं0 1351 के द्वारा वारीसान के नाम खातेदारी दर्ज की गई। नकल जमाबंदी सम्वंत 2073–2076 वाके ग्राम नोहटा में भूमि खसरा नम्बर 1155 / 2 रकबा 19 बिस्वा भूमि भवंरसिंह,रामसिह,पृथ्वीसिंह,देवराजसिंह पुत्र श्योदान सिंह,मंजू कंवर पुत्री श्योदान सिंह तथा गोपाल कंवर पत्नि श्योदान सिंह जाति राजपूत की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार निवाई ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण के पक्ष में किया

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गैंया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 510,552 तथा 1351 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षीगणकी गई। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस पेरोकार सरकार सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 में गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है, उक्त नाला भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 510,खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 552 तथा फोती नामान्तकरण सख्या 1351 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 में खसरा नम्बर 1155 गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 14.11.1975 को 19 बिस्वा भूमि श्योदानसिंह पुत्र रोडसिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में श्योदानसिंह को दिनांक 03.03.1987 को नामान्तरकरण सं0 510 के द्वारा गैर खातेदारी,दिनांक 28.06.1989 को नामान्तरकरण सं0 552 के द्वारा खातेदारी तथा खातेदार के फोत होने से दिनांक 06.12.2017 को नामान्तरकरण सं0 1351 के द्वारा वारीसान के नाम दर्ज हुई है।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 में गै0मु0 नाला दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी। श्योदानसिह ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 14.11.1975 को विवादित भूमि श्योदानसिंह के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार निवाई का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि श्योदानसिंह पुत्र रोडसिंह जाति राजपूत निवासी नोहटा तहसील निवाई को दिनांक 14.11.1975 द्वारा खसरा नम्बर 1155 रकबा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नोहटा मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री श्योदानसिंह के नाम स्वीकार किया गया गर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 510 दिनांक 03.03.1987, खातेदारी का नामान्तकरण सं0 552

जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक 28.06.1989 तथा विरासत का नामान्तकरण सं0 1351 दिनांक 06.12.2017 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 1155/2 रकबा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नोहटा को पुन: गै0मु0 नाला भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)